



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269277
CG-DL-E-12012026-269277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 120]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 130(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में NH-146 के कि.मी. 93.375 से कि.मी.96.57 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बासौदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में NH-146 के कि.मी. 93.375 से कि.मी.96.57 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: त्योंदा					
गांव का नाम: बूढी बागरोद					
1	795/1	निजी	सिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
2	853/1	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
3	855/2/1	निजी	व्यावसायिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
4	856/1/1	निजी	व्यावसायिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
5	856/2	निजी	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: ढोलबाज					
6	33/1/1/1/2	निजी	सिंचित	1.463 (हेक्टेयर)	1.463
7	33/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.209 (हेक्टेयर)	0.209
8	33/1/2	निजी	सिंचित	0.177 (हेक्टेयर)	0.177
9	33/2/1/1	निजी	सिंचित	0.209 (हेक्टेयर)	0.209
10	33/2/1/2/1	निजी	सिंचित	0.836 (हेक्टेयर)	0.836
11	33/2/1/2/2/1	निजी	सिंचित	0.627 (हेक्टेयर)	0.627
12	33/2/1/2/2/2/1	निजी	सिंचित	0.418 (हेक्टेयर)	0.418
13	33/2/1/2/2/2/2	निजी	सिंचित	0.418 (हेक्टेयर)	0.418
14	33/2/2/1/1	निजी	सिंचित	0.174 (हेक्टेयर)	0.174
15	33/2/2/1/2	निजी	सिंचित	0.174 (हेक्टेयर)	0.174
16	33/2/2/1/3	निजी	सिंचित	0.174 (हेक्टेयर)	0.174
17	33/2/2/2	निजी	सिंचित	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
18	33/3/1	निजी	सिंचित	1.672 (हेक्टेयर)	1.672

19	33/3/2	निजी	सिंचित	0.209 (हेक्टेयर)	0.209
20	33/3/3	निजी	सिंचित	0.209 (हेक्टेयर)	0.209
21	33/4/2	निजी	सिंचित	1.045 (हेक्टेयर)	1.045
22	36/1	निजी	सिंचित	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
23	36/2/1/1	निजी	सिंचित	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
24	36/2/1/2	निजी	सिंचित	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
25	36/2/2	निजी	सिंचित	0.209 (हेक्टेयर)	0.209
गांव का नाम: कस्बा बागरोद					
26	140	निजी	सिंचित	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
27	44	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
28	45	निजी	सिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
29	46/1	निजी	सिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
30	48	निजी	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
31	53	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
32	54	निजी	सिंचित	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
33	55	निजी	सिंचित	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
34	98	निजी	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: गौंइखेड़ीमार					
35	11/2/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
36	158	निजी	सिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
37	159/1/1	निजी	सिंचित	0.075 (हेक्टेयर)	0.075
38	159/1/2	निजी	सिंचित	0.043 (हेक्टेयर)	0.043
39	17/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
40	17/2/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
41	180/1/3/2	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
42	19/2/2	निजी	व्यावसायिक	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
43	196/1/1/2/1	निजी	व्यावसायिक	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
44	20/1/3	निजी	सिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
45	20/2/2	निजी	व्यावसायिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025

46	207	निजी	सिंचित	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
47	33/2/1/1/1/1/1	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
48	33/2/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
49	6/1/2/2/1	निजी	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
50	6/1/2/2/2	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
51	6/1/2/2/3	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
52	6/1/2/2/4	निजी	सिंचित	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
53	6/2/4	निजी	व्यावसायिक	0.135 (हेक्टेयर)	0.135
54	6/4/1/2	निजी	सिंचित	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
55	6/4/1/3	निजी	सिंचित	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
56	6/4/2	निजी	व्यावसायिक	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
गांव का नाम: खेरोदा बागरोद					
57	357/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
58	357/2/1	निजी	व्यावसायिक	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
59	359/3/1	निजी	सिंचित	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
60	359/3/3	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
61	359/3/4	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
62	365	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
63	366	सरकारी	रास्ता	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
64	368	निजी	सिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
Total					11.105

[फा. सं. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 130(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-146 in the stretch of land from Km. 93.375 to Km. 96.57 in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub - Divisional Officer, Basoda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-146 in the stretch of land from Km. 93.375 to Km. 96.57 in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tyonda					
Village: Budhi Bagrod					
1	795/1	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
2	853/1	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
3	855/2/1	Private	Commercial	0.05 (Hectare)	0.05
4	856/1/1	Private	Commercial	0.03 (Hectare)	0.03
5	856/2	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Dholbaj					
6	33/1/1/1/2	Private	Irrigated	1.463 (Hectare)	1.463
7	33/1/1/2	Private	Commercial	0.209 (Hectare)	0.209
8	33/1/2	Private	Irrigated	0.177 (Hectare)	0.177
9	33/2/1/1	Private	Irrigated	0.209 (Hectare)	0.209
10	33/2/1/2/1	Private	Irrigated	0.836 (Hectare)	0.836
11	33/2/1/2/2/1	Private	Irrigated	0.627 (Hectare)	0.627
12	33/2/1/2/2/2/1	Private	Irrigated	0.418 (Hectare)	0.418
13	33/2/1/2/2/2/2	Private	Irrigated	0.418 (Hectare)	0.418
14	33/2/2/1/1	Private	Irrigated	0.174 (Hectare)	0.174
15	33/2/2/1/2	Private	Irrigated	0.174 (Hectare)	0.174
16	33/2/2/1/3	Private	Irrigated	0.174 (Hectare)	0.174

17	33/2/2/2	Private	Irrigated	0.105 (Hectare)	0.105
18	33/3/1	Private	Irrigated	1.672 (Hectare)	1.672
19	33/3/2	Private	Irrigated	0.209 (Hectare)	0.209
20	33/3/3	Private	Irrigated	0.209 (Hectare)	0.209
21	33/4/2	Private	Irrigated	1.045 (Hectare)	1.045
22	36/1	Private	Irrigated	0.29 (Hectare)	0.29
23	36/2/1/1	Private	Irrigated	0.077 (Hectare)	0.077
24	36/2/1/2	Private	Irrigated	0.105 (Hectare)	0.105
25	36/2/2	Private	Irrigated	0.209 (Hectare)	0.209
Village: Kasba Bagrod					
26	140	Private	Irrigated	0.23 (Hectare)	0.23
27	44	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
28	45	Private	Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
29	46/1	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
30	48	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
31	53	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
32	54	Private	Irrigated	0.22 (Hectare)	0.22
33	55	Private	Irrigated	0.14 (Hectare)	0.14
34	98	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Gaundhkhedimar					
35	11/2/1/2	Private	Commercial	0.021 (Hectare)	0.021
36	158	Private	Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
37	159/1/1	Private	Irrigated	0.075 (Hectare)	0.075
38	159/1/2	Private	Irrigated	0.043 (Hectare)	0.043
39	17/1/2	Private	Commercial	0.084 (Hectare)	0.084
40	17/2/1/2	Private	Commercial	0.021 (Hectare)	0.021
41	180/1/3/2	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
42	19/2/2	Private	Commercial	0.022 (Hectare)	0.022
43	196/1/1/2/1	Private	Commercial	0.032 (Hectare)	0.032
44	20/1/3	Private	Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
45	20/2/2	Private	Commercial	0.025 (Hectare)	0.025

46	207	Private	Irrigated	0.105 (Hectare)	0.105
47	33/2/1/1/1/1	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
48	33/2/1/2	Private	Commercial	0.032 (Hectare)	0.032
49	6/1/2/2/1	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
50	6/1/2/2/2	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
51	6/1/2/2/3	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
52	6/1/2/2/4	Private	Irrigated	0.042 (Hectare)	0.042
53	6/2/4	Private	Commercial	0.135 (Hectare)	0.135
54	6/4/1/2	Private	Irrigated	0.032 (Hectare)	0.032
55	6/4/1/3	Private	Irrigated	0.032 (Hectare)	0.032
56	6/4/2	Private	Commercial	0.032 (Hectare)	0.032
Village: Kheroda Bagrod					
57	357/1/2	Private	Commercial	0.1 (Hectare)	0.1
58	357/2/1	Private	Commercial	0.052 (Hectare)	0.052
59	359/3/1	Private	Irrigated	0.035 (Hectare)	0.035
60	359/3/3	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
61	359/3/4	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
62	365	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
63	366	Government	Road	0.01 (Hectare)	0.01
64	368	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
Total					11.105

[F. No. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director